07.03.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समक्ष में अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपः नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अदम-पैरवी' व 'अदम-हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.21 10:10:33 IST
Reason: SelfAttested